UPJS010036232023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थित– जयतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO CODE NO.U.P.05983

CNR NO.UPJS01–003623–2023

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1424/2023

अमित पाल पुत्र श्री रामसहाय पाल उम्र करीब १९ वर्ष, निवासी ग्राम हीरापुर थाना बबीना जिला झाँसी (उ०प्र०) **----आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र०सरकार **----अभियोजक।**

मु०अ०सं०–१३३/२०२२
धारा–३७९ भा०द०सं०
थाना–बड़ागांव, जिला झाँसी।

दिनांकः०१.०७.२०२३

१– मुकदमा अपराध सं०–१३३ सन २०२२ धारा–३७९ भा०द०सं० थाना बड़ागांव, जिला झाँसी में अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक /अभियुक्त **अमित पाल** उपरोक्त की ओर से जमानत हेतु यह **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

२– आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी सत्र न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।

३– अभियोजन केस के अनुसार वादी मुकदमा श्रीराम द्वारा थाना–बड़ागाँव, जिला–झाँसी में दिनांक २२.०५.२०२२ को समय १४.३२ बजे इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक ०६.५.२०२२ को मैं अपने घर से अपनी मोटरसाईकिल यू०पी०–९३ए.बी.–९०४७ होण्डा स्पेलेन्डर से ग्राम बसोवा रिश्तेदार में गया था रात में बसोबा से घर वापस आ रहा था । मडोरा रोड पर प्रतीक्षालय के आगे मोटरसाईकिल रोड के किनारे खड़ी करके लैट्रिन करने लगा । मडोरा की ओर एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आये और मेरी खड़ी मोटरसाइकिल जिसमें चाबी लगी थी समय करीब ९.३०बजे रात्रि चोरी करके ले गये, मैं चिल्लाता रात का समय था, कोई था नही, मैं अब तक अपनी मोटरसाइकिल का पता करता रहा आज थाने आया हूँ । उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना इस अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये । प्रकरण में धारा–३७९ भा०द०सं० के तहत दाखिल हो चुका है ।

४– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, वह पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा के द्वारा थाना उपरोक्त में अज्ञात व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस ने कार्यगुजारी दिखाने के लिये आवेदक के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत किया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई मोटरसाईकिल को चोरी नहीं की है। आवेदक के पास से दो जिन्दा कारतूस ३१५ बोर की फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। सहअभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक २९.०५.२०२२से जेल में निरूद्ध है। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

५– अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल की चोरी करने का अभियोग है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास होने का तर्क करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की है।

६– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान

Digitally signed by JAITENDRA KUMAR
Date: 2023.07.01 16:03:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिवक्ता के तर्को को सुना जमानत प्रार्थना पत्र तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

७– अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक २९.०५.२०२२ से जिला कारागार में निरूद्व होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शपथपत्र के खण्डन में कोई प्रति शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त मौके पर गिरफ्तार नही हुआ है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही बताया गया है। विवेचना उपरांत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। विवेचना को प्रभावित किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। सहअभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास बताया गया है, उनमें सजायाव होने का प्रमाण नही है। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। फलस्वरूप मामले के समस्त तथ्यों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अमित पाल** का मु०अ०सं०– १३३ सन २०२२ अन्तर्गत धारा ३७९ भा०द०सं० थाना बड़ागांव जिला झाँसी के प्रकरण में **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा ५०,०००/–रू० की दो जमानतें एवं इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नशर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये–

१–आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा और गबाहान को डरायेगा, धमकायेगा नही, न ही साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा।

२– आवेदक/अभियुक्त दौरान वाद यथा संभव प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

३– आवेदक/अभियुक्त अपना वर्तमान निवास स्थान बगैर न्यायालय की अनुमति के एवं पूर्व सूचना के परिवर्तित नही करेगा। यदि वह ऐसा करता है,तो इस आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

(जयतेन्द्र कुमार)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
झाँसी।

दिनांकः०१.०७.२०२३

सुनील कुमार,
स्टेनो।